न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 52/2018

अपीलांट – *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

भूराराम पुत्र जोराराम जाति रेबारी निवासी लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर
2. मंगला पुत्र हाजा
3. पांचा पुत्र हाजा
4. टीकमा पुत्र हाजा
5. जामता पुत्र हाजा
   जाति रेबारी निवासी लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.12.2006 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री अमित कुमार धनदे, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजूराम कुमावत, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 से 5 की ओर से अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 28.02.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 02.12.2006 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:11:26 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि [illegible] का तला व लंगेरा के खेत खसरा नंबर क्रमशः 24, 25, 37, 38[illegible] 38/3, 57/2 कुल रकबा 172–18 बीघा भूमि के खातेदारान भूरा जेता [illegible]0 जोरा, मंगला, पांचा, [illegible]मा, जामता पि0 हाजा जाति रेबारी सा0 लंगेरा ने दिनांक 01.12.2006 को

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी लंगेरा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त इकरारनामे की जांच की गई। वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहाकाश्तकारी में दर्ज है तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत है। भूमि सहखातेदारी की पैतृक है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2006 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.10.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विधि तथ्यों की भारी भूल की है। अपीलाधीन भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 की संयुक्त खातेदारी की जमीन है जिसे आपसी सहमति से बाहमी तौर पर बंटवाड़ा करने का आवेदन तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष किया गया है। उक्त आवेदन में यह बात तय हुई थी कि सभी पक्षकारों के समस्त भूमि में बराबर–बराबर जमीन दी जावेगी तथा इसी अनुसार मौका पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु हल्का पटवारी को कहा गया था। अपीलांट ने हलका पटवारी पर विश्वास कर खाली पेपरों पर अपने हस्ताक्षर किये जबकि संलग्न नक्शा में उस समय कोई रंग भरे हुए नहीं थे। पूछने पर अपीलांट को बताया गया कि बाद में मौके पर आकर वास्तविक व भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार रहवासी ढ़ाणियों, पानी के टांकों को बिना प्रभावित करते हुए तथा आवागमन के रास्तों को ध्यान में रखते हुए ही माफिक रंग भरेंगे। लेकिन हलका पटवारी ने रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के साथ मिलावट कर मौके पर वास्तविक स्थिति से भिन्न प्रकार से नक्शा में अपनी मनमर्जी से रंग भर कर अपीलांट को धोखे में रखा और अपीलाधीन आराजी का मौके पर कब्जा–काश्त से हटकर बंटवाड़ा करवा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:11:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

भी मौका से कब्जा–काश्त की मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए बंटवाड़ा आदेश पारित कर दिया गया। लिहाजा अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि कुछ अर्सा पूर्व अपीलांट द्वारा तहसील कार्यालय से दिनांक 15.10.2018 अपीलाधीन खसरों की जमाबंदियां व नक्शा की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की तब प्रथम बार गलत निर्णय का ज्ञान हुआ। इस पर अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है फिर भी अज्ञानतावश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत हैं।

6. रेस्पोडेंट्स सं. 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता दौरान सुनवाई अनुपस्थित।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा पिण्डियों का तला व लंगेरा के खेत खसरा नंबर क्रमशः 24, 25, 37, 38/2, 38/3, 57/2 कुल रकबा 172–18 बीघा भूमि के खातेदारान भूरा जेता पि0 जोरा, मंगला, पांचा, टीकमा, जामता पि0 हाजा जाति रेबारी सा0 लंगेरा ने दिनांक 01.12.2006 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी लंगेरा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त इकरारनामे की जांच की गई। वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहाकाश्तकारी में दर्ज है तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत है। भूमि सहखातेदारी की पैतृक है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2006 पारित किया गया। यद्यपि रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहे है तथा प्रतिरक्षण में कोई जवाब/तथ्य प्रकट नहीं किये गये हैं, फिर भी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलाधीन विभाजन नक्शा पर सहमति से स्वयं अंगुठा/हस्ताक्षर कर विभाजन के लिये आवेदन किया गया है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन विभाजन स्वीकार्य आदेश के लगभग 12 साल बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक कारण नहीं दर्शाया है। इस प्रकार अपीलांट की यह अपील मयाद बाधित होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:11:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:11:26 IST
Reason: SelfAttested